न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा संख्याः 18/2021
निर्णय दिनांकः 15.10.2025
जीसीएमएस सं0: 2021/132

1. औमप्रकाश पुत्र मेघसिंह जाति जाट निवासी खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. केशरदेवी पुत्री मेघसिंह जाति जाट निवासी खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू
2. केशर पुत्री सोनकी पुत्री कालुराम जाति मेघवाल निवासी खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़
3. बनवारी पुत्र सोनकी पुत्री कालुराम जाति मेघवाल निवासी खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़
4. भंवरलाल पुत्र सोनकी पुत्री कालुराम जाति मेघवाल निवासी खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़
5. भागुराम पुत्र सोनकी पुत्री कालुराम जाति मेघवाल निवासी खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़
6. राजूराम पुत्र सोनकी पुत्री कालुराम जाति मेघवाल निवासी खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़
7. सुगना पुत्री सोनकी पुत्री कालुराम जाति मेघवाल निवासी खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़

.....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री गौवर्धनलाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. राजपैरोकार अप्रार्थी संख्या 1।
3. श्री कैलाश गुलेरिया अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 व 7।

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जा व स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा संख्या 717/237 वाके रोही ग्राम खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़ में स्थित है। उक्त खेत में आवागमन हेतु रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कटाणी करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वांछित रास्ता कटाणी रास्ता से फंटकर नजरी नक्शा में बरंग लाल दर्शाया गया है, रास्ता प्रार्थीगण के खेत खनं0 720/239 से ख0नं0 240 की दक्षिणी सींव के पास से 717/237 तक आवागमन के लिए निवेदन किया गया है।

यह कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 717/237 के खातेदार के रिकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व अपनी कृषि भूमि काश्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त बरंग लाल दर्शाया गया रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से अनावश्यक परेशानियों का हल होगा तथा किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान नहीं होगा। उपरोक्त रास्ता कटाणी रास्ता से फंटकर आवागमन का एकमात्र रास्ता सही विकल्प हो सकता है। उक्त बरंग लाल दर्शाये रास्ते से कम से कम भूमि व सुविधाजनक रास्ता बिना किसी प्रकार से खातेदार की भूमि को नुकसान पंहुचाये कायम किया जा सकता है। यह कि रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण भारी परेशानियां होती है अन्य कोई विकल्प नहीं है। चुंकि ख0नं0 720/239 स्वयं प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थी की रिहायशी ढाणी है, जिसमें से दक्षिणी तरफ से रासता कटाणी करवाने हेतु स्वयं प्रार्थी सहमत है जिससे अप्रार्थीगण के खेत ख0नं0 240 के लिए ये

उप खण्ड अधिकारी

आवागमन हेतु कटाणी रास्ता उपलब्ध होगा व ख0नं0 240 की दक्षिणी सींव के पास 3 गठा का रास्ता ख0नं0 717/237 के लिये देगा प्रार्थी व अप्रार्थी खातेदार स्वयं रास्ता प्राप्त करेगें। प्रार्थी के खेत ख0नं0 717/237 में आवागमन को कोई कटाणी रास्ता विद्यमान नहीं है जिसके लिये प्रार्थी के खेत में आवागमन का एकमात्र बेहतर रास्ता ख0नं0 720/239 से होकर ख0नं0 240 की दक्षिणी सींव के खातेदारान को बिना किसी कानूनी प्रयास किये स्वयं को कटाणी रास्ता प्राप्त होगा व वह स्वयं लाभान्वित होगें। जिस कारण ख0नं0 240 के खातेदार को रास्ते के लिये दी जाने वाली रास्ते की भूमि के बदले प्रार्थी ख0नं0 717/237 में आवागमन हेतु कटाणी मार्ग की भूमि प्राप्त करेगा। जिस कारण अप्रार्थी किसी प्रकार से मुआवजे का या भूमि के बदले भूमि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। प्रार्थीगणों द्वारा प्राथेना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि नजरी नक्शा अनुसार कटाणी मार्ग से खसरा नम्बर 720/239 के मध्य सीमा से होकर खेत ख0 नं0 240 की दक्षिण सीमा से ख0नं0 717/237 की दक्षिण पुर्वी सींव तक आवागमन के लिये राजस्व रिकॉर्ड में कटाणी मार्ग दर्ज किया जावे, जो नजरी नक्शा में मार्क क ख बरंग सुर्ख लाल दर्शाया गया है, राजस्व रिकॉर्ड में 3 गठा चौड़ा कटाणी दर्ज किया जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रकरण न्यायालय में विचारण किया जाकर दिनांक 17.10.2024 को प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय पारित किया गया एवं प्रार्थीगण के खेत रोही खारिया कनीराम के खसरा नम्बर 717/237 तक आवागमन हेतु 720/239 में से 135 मीटर तथा खसरा नम्बर 240 में से 140 मीटर लम्बा एवं 20 फीट चौड़ा रास्ता उत्तरी दिशा से मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार दिये जाने के आदेश दिये गये व प्रार्थीगणों को रास्ते के रूप में आने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी की दर का दौगुणा राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के आदेश जारी किये गय।

अप्रार्थी की ओर से माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर में उक्त निर्णय की के विरूद्ध अपील की गयी । माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2025 को अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय 17.10.2024 को अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया गया कि समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। प्रार्थी औमप्रकाश के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व अधिकारी के निर्देशानुसार फैसला करने हेतु निवेदन किया।

जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 10.06.2025 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया। मुताबिक राजीनामा पक्षकारान में इस बात पर सहमति बनी है कि उपर्युक्त कटाणी मार्ग खसरा संख्या 1069/720, 1066/240 को इसकी वर्तमान अवस्थिति (उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वीकृत रास्तो का निरस्त कर) के स्थान पर नया कटाणी रास्ता संलग्न नक्शे में चिन्हित अनुसार खसरा संख्या 720/239 की उतरी सीमा के नीचे ओर खसरा संख्या 240 की उतरी एवं पश्चिमी सीमा के नीचे से होते हुए खसरा संख्या 717/237 तक अवस्थित करवाया जाये जिसमें सभी पक्षकार सहमत है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि के एवज में खसरा नम्बर 720/239 में से भूमि दी जायेगी। राजीनामा प्रस्तुतकर्ता निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में रास्ते के एवज में राजकोष में जमा करवायी गयी राशि पुनः प्रार्थीगण को लौटाई जाये।

राजीनामा प्रस्तुत करने के उपरान्त उभयपक्षकारान में प्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में रास्ता राजीनामा मुताबिक ख0नं0 717/237 तक होना है लेकिन खसरा नम्बर 237 के विभाजन से नये खसरा नम्बर 717/237, 718/237 व ख0नं0 719/237 हुआ है जो तीनों खेत एक ही था इसलिये नया रास्ता खेत खसरा नम्बर 718/237 तक ही कायम किया जाये। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 ने सहमतिस्वरूप प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर अंकित किये।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा रिपोर्ट तहसीलदार, राजीनामा आदि दस्तावेजों का भलीभांती अवलोकन किया गया। प्रकरण पूर्व में न्यायालय में विचारण किया जाकर दिनांक 17.10.2024 को निर्णय पारित किया जा चुका है। माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा अपील केसर आदि बनाम ओमप्रकाश आदि में दिनांक

उप खण्ड अधिकारी

04.03.2025 को आदेश जारी कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.10.2024 को को अपास्त कर निर्देशित किया गया है कि समस्त पक्षकारों की उपस्थिज्ञति में प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। समस्त पक्षकारान द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में रास्ता राजीनामा मुताबिक ख0नं0 717/237 तक होना है लेकिन खसरा नम्बर 237 के विभाजन से नये खसरा नम्बर 717/237, 718/237 व ख0नं0 719/237 हुआ है जो तीनों खेत एक ही था इसलिये नया रास्ता खेत खसरा नम्बर 718/237 तक ही कायम किया जाये। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 ने सहमतिस्वरूप प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर अंकित किये।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुताबिक राजीनामा व प्रार्थना पत्र दि0 14.07.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी मुताबिक राजीनामा व प्रार्थना पत्र दि0 14.07.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाकर एवं पूर्व आदेश दिनांक 17.10.2024 को निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत रोही ग्राम खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़ में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 720/239 की उतरी सीमा के नीचे ओर खसरा संख्या 240 की उतरी एवं पश्चिमी सीमा के नीचे से होते हुए खसरा संख्या 718/237 तक अवस्थित किया जाये। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि यथा खसरा संख्या 240 की भूमि के एवज में खसरा नम्बर 720/239 में से भूमि सम्बन्धित पक्ष को दी जायेगी। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में रास्ते के एवज में राजकोष में जमा करवायी गयी राशि को विधिवत प्रकिया अपनाते हुए रिफण्ड किया जाये। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–